शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय

<u>मैनुअल-I</u> संगठन के विवरण, कार्य और कर्तव्य

(1) शर्करा प्रभाग

शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का संबद्ध कार्यालय है। शर्करा प्रभाग चीनी के उत्पादन, उपलब्धता और कीमत निगरानी के संबंध में नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है।

शर्करा प्रभाग द्वारा किए जा रहे कार्य निम्नवत हैं:-

I. देश में चीनी के उत्पादन, खपत और स्टाकों पर चीनी मौसम-वार सभी सांख्यकीय सूचनाएं रखना।

II. कच्ची चीनी सहित चीनी के आयात और निर्यात पर नीति निर्णयों का कार्यान्वयन।

III. देश में चीनी कीमतों के रूझान की निगरानी तथा चीनी पर नीति निर्णयों के लिए जानकारी प्रदान करना।

IV. देश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान के लिए गन्ना मूल्य बकायों की निगरानी।

V. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आपूर्तित त्रैमासिक आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारंभ में लगाए गए मामलों के अनुसार तथा मासिक लेवी चीनी कोटा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के त्यौहारी कोटा चीन राजसहायता जारी करने हेतु प्रस्तावों की जांच करना।

VI. चीनी मिलों की मौजूदा क्षमता में नई चीनी मिलों की स्थापना/विस्तार तथा न्यायालय मामलों सहित मामलों के प्रस्तावों की जांच करना।

VII. लेवी चीनी मार्जिनों का निर्धारण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना।

VIII. खाद्य तेलों आदि की कीमतों, आयात शुल्क स्थिति के विषय पर पीएमओ/वीआईपी के विभिन्न संदर्भों को कार्यरूप देना।

IX. चीनी से संबंधित लोक सभा/राज्य सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना।

X. स्थाई समिति, मंत्रिमण्डल समितियों आदि के लिए चीनी पर विभिन्न नोट तैयार करना।

XI. विभिन्न एजेंसियों से गन्ने की फसल, गन्ना और चीनी उत्पादन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार आदि दोनों के अनुमानों से संबंधित चीनी मौसम-वार सूचना का संचयन और संकलन करना।

(ख) तेल प्रभाग

तेल प्रभाग खाद्य तेल का उत्पादन, उपलब्धता तथा कीमत निगरानी से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

तेल प्रभाग द्वारा किए जा रहे कार्य निम्नवत हैं:-

I. देश में खाद्य तेलों की मांग-पूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन।

II. तिलहनों/तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर परामर्श देना।

III. घरेलू खाद्य तेल प्रोसेसिंग उद्योग के हालातों में सुधार लाने के लिए रणनीति पर परामर्श देना।

IV. दैनिक आधार पर खाद्य तेलों और तिलहनों के कीमतों की निगरानी करना।

V. डीवीवीओएफ भारत सरकार, वनस्पति तेल उतपाद, उत्पादन और उपलब्धता (वीओपीपीए) (विनियमन) आदेश, 2011 के कार्यान्वयन और खाद्य तेलों के विनिर्माण में लगे उद्योगों के पंजीकरण प्रभावी करने हेतु नियामक प्राधिकरण है।

VI. खाद्य तेल विनिर्माण यूनिटों के उत्पादन पर सांख्यिकीय आंकड़ों को रखना।

VII. खाद्य तेलों आदि की कीमतों, आयात शुल्क स्थिति के विषय पर पी एम ओ/वी आई पी के विभिन्न संदर्भों को कार्यरूप देना।

VIII. खाद्य तेलों से संबंधित लोक सभा/राज्य सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना।

IX. खाद्य तेलों पर विभिन्न प्रकार के नोट तैयार करना।

X. विभिन्न एजेंसियों जैसे एस ई ए आई, एस ओ पी ए तथा अन्य से खाद्य तेलों/तिलहनों, फसल संभावनाओं, भावी कीमतों आदि से संबंधित सूचना का संचयन और संकलन।